राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
अध्यक्ष सचिवालय,

क्रमांकः TACM/WC/21/10-11/ 15　　　　　　　　दिनांक 26 अप्रैल 2010

कार्यवाही विवरण

कार्य समिति बैठक संख्या 01/2010–11
दिनांक : 19.4..2010

कार्य समिति की बैठक दिनांक 19.4..2010 को सायं 04.00 बजे माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई।

उपस्थितः–

1.	श्री ललित कोठारी, अध्यक्ष, राज.आ.म.जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पी.के.गोयल,आवासन आयुक्त राज.आ.म,जयपुर	सदस्य
3.	श्री एच.सी. अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, राज.आ.म. जयपुर	सदस्य
4.	श्री अनिल जैन, वि0स0 एवं मु0लेखाधिकारी, राज. आ. म., जयपुर	सदस्य
5.	श्री एन.के. खरे, अति. मुख्य नगर नियोजक, प्रतिनिधि मु.नगर नियोजक,	सदस्य
6.	श्री के.सी. मीणा, अति0 मु0 अ0 (प्रथम), राज. आ.म., जयपुर	सदस्य
7.	श्री डी.सी. बाबेल, अति0 मु0अ0 (तृतीय), राज. आ. म, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री के.एन. माथुर, तक0 सहायक–अध्यक्ष, राज. आ. म., जयपुर	सदस्य–सचिव

विशेष आमंत्रितः

1. श्री आर.के. अग्रवाल, तकनीकी सहायक–मुख्य अभियंता, राज.आ.मण्डल, जयपुर।
2. श्री एस.के. सुराणा, उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विचार बिन्दु प्रस्तावों के सम्बन्ध में समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ बिन्दुओं पर अपना मत प्रकट किया।

अध्यक्षजी ने कहा कि विचार बिन्दु प्रस्तावों में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख तो किया जाता है परन्तु कार्य–विभाजन के सम्बन्ध में उचित जांनकारी के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विचारार्थ कार्य में अनुपातिक–रूप से स्वीकृति से विचलन है या नहीं, अगर है तो किस सीमा तक? एक्स्ट्रा आईटम के प्रस्तावों के कारण इनका वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता। उन्होने इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता महोदय को निर्देश दिए कि भविष्य में समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों में समस्त बिन्दुओं का समावेश किया जाकर स्पष्ट विचार बिन्दु प्रस्तुत किए जाने से समिति को त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

कार्यों के निष्पादन पश्चात् हुई बचत के विचलन प्रपत्र इत्यादि के सम्बन्ध में अध्यक्षजी द्वारा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारीजी को निर्देश दिए गए कि वित्तीय नियमों का अध्ययन कर यह पता लगाएं कि दी गई वित्तीय स्वीकृति पश्चात् हुई बचत के प्रकरणों को कार्य समिति के समक्ष ही रखना आवश्यक है अथवा इस प्रकार के प्रकरणों में स्वीकृति अन्य स्तर पर भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में पृथक से चर्चा करने के निर्देश दिए गए।

कार्यों के निष्पादन पश्चात् विचलन प्रपत्र में कई आईटम में अत्यधिक विचलन पाया जाता है। साथ ही अनुबन्ध के अर्न्तगत बहुधा एक्स्ट्रा आईटम का भी अधिक मात्रा में निष्पादन पाया जाता है जिसका कारण कार्यस्थल पर आवश्यकता बताई जाती हैं। अध्यक्षजी का मत था कि यह इस बात को इंगित करता है कि कार्य प्रारम्भ करने से पहले भली प्रकार साईट का सर्वे इत्यादि कर मकानों की विस्तृत ड्राईग एवं अन्य विवरण नहीं तैयार किए जाते हैं जिसके कारण तकमीने भी भली प्रकार नहीं बनाए जाने के कारण इस प्रकार के विचलन एवं एक्स्ट्रा आईटम के प्रकरण समिति के समक्ष बहुतायत में प्रस्तुत किए जाते हैं। अध्यक्षजी ने यह भी कहा कि गत दिनों उन्होने कई कार्यस्थलों के विभिन्न शहरों में निरीक्षण किए जिसमें भी यह स्पष्ट हुआ कि मकानों की ड्राईग में विवरण पूरे न होने के कारण कार्य निष्पादन के समय कमियां रह जाती है विशेषकर टॉयलेट एवं किचन के ले–आउट तथा इलेक्ट्रिफिकेशन के लेआउट एवं विवरण इत्यादि नहीं होने के कारण कार्य सही प्रकार से निष्पादित नहीं किए जाते हैं तथा संभवतः तकमीने बनाते समय पूरे आईटम तथा मात्रा का आंकलन नहीं होने के कारण इस प्रकार के विचलन का कारण बनते हैं। इस प्रकार की कमियां मण्डल द्वारा नियुक्त आर्किटेक्चरल कन्सल्टेन्ट द्वारा दिए गए नक्शों में भी पाई जाती हैं। फाइनल टाइम एक्स्टेंशन के प्रकरण प्रस्तुत करते हुए आमतौर पर यह टिप्पणी पाई जाती है कि कन्सल्टेन्ट द्वारा समय पर ड्राइंग नहीं दिए जाने के कारण विलम्ब हुआ। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होने इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ताजी को निर्देश दिए कि भविष्य में प्रारम्भ किए जाने कार्यों की समस्त आवश्यक ड्राइंग पूर्व में तैयार की जाकर तकमीने बनवाए जाने चाहिए तथा उसी के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी चाहिए। कार्य कन्सलटेन्ट द्वारा किया जा रहा है तो उससे समस्त ड्राइंग के विवरण पूर्व में ही प्राप्त कर लिए जाने चाहिए। इसी प्रकार निर्माण की ड्राइंग मण्डल की ड्राइंग–सेल द्वारा तैयार की जा रही है तो उस दशा में भी अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक यह सुनिश्ति करें कि कार्य की समस्त ड्राइंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध हो जिससे इस प्रकार की समस्या से भविष्य में बचा जा सके।

कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयेः–

Agenda No. 1-A Confirmation of Minutes of the Works Committee meeting No. 7/09-10 held on 26.2.2010.

बैठक के प्रारम्भ में दिनांक 26.2.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

Agenda No. 1-B Action Taken Report - Works Committee meeting No. 7/09-10 held on 26.2.2010.

विचार बिन्दु पर चर्चा कर गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

Agenda No. 2 Approval of extra items/ deviation for construction of 12 Nos. MIG-A (Duplex) Houses of Sector-26, Pratap Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Lekh Ram Arya.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 9.52 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। विचलन के कारणों में मकानों का कार्य लो–लाईंग एरिया में होना, एम.एन.आई.

टी. द्वारा आर.सी.सी. की डिजाईन में अधिक लोहा लगाने का प्रस्ताव, बेहतर एलिवेशन हेतु सामने की खिड़कियों को लकड़ी का बनाया जाने का प्रस्ताव इत्यादि है तथा कार्य का निष्पादन कार्य की आवश्यकतानुसार करवाया गया है।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि विचलन के प्रमुख कारणों में बचत एवं अधिक दोनों प्रकार की दशा के कारणों का उल्लेख विचार बिन्दु के प्रस्ताव में दर्शाया जाना चाहिए जिस पर भविष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तावों में सुस्पष्ट–रूप से विचलन में हुए अधिक व्यय तथा बचत के कारण दर्शाते हुए कुल विचलन का मोटेरूप में उल्लेख होना चाहिए।

Agenda No. 3 — Approval of deviation for construction of HIG-12 Nos. (SFS) Duplex, houses at Sector 19, Zone-III, Pratap Nagar, Jaipur. Contractor - M/s. Suresh Chand Shukla.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 7.74 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। विचलन के कारणों में मकानों का कार्य लो–लाईंग एरिया में होने के कारण फाउन्डेशन की मात्रा में वृद्धि, आवश्यकतानुसार प्लिन्थ में मिट्टी भराई, मकानों की लाईन में 6 सेमी–डिटेच मकान होने के कारण प्लास्टर की मात्रा में वृद्धि इत्यादि है तथा कार्य का निष्पादन कार्य की आवश्यकतानुसार करवाया गया है।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि विचलन के प्रमुख कारणों में बचत एवं अधिक दोनों प्रकार की दशा के कारणों का उल्लेख विचार बिन्दु के प्रस्ताव में दर्शाया जाना चाहिए जिस पर भविष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रस्तावों में सुस्पष्ट–रूप से विचलन में हुए अधिक व्यय तथा बचत के कारण दर्शाते हुए कुल विचलन का मोटेरूप में उल्लेख होना चाहिए।

Agenda No. 4 — Approval of final extra items/ deviation / final time extension for construction of work of MIG-B-83 Nos. houses at Housing Scheme, Kotputli. Contractor - M/s. Raj. Construction Co.

1. विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 4.54 प्रतिशत बचत का विचलन हुआ है। विचलन का प्रमुख कारण भूमि विवाद के कारण 10 मकान नहीं बनवाया जा सकना है।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि भविष्य में कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी

चाहिए ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय वास्तव में बनाए जा सकने वाले मकानों की ही निविदा लगाई जा सके।

2. एक्स्ट्रा आईटम – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार प्लास्टर पर पी.ओ.पी. कराने का निर्णय बाद में लिया गया तथा फ्लश–डोर पर लकड़ी लिपिंग लगाई जानी आवश्यक होने के कारण एक्स्ट्रा आईटम करवाए गए।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। एक्स्ट्रा आईटम अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि भविष्य में तकमीने बनाते समय कार्य के स्फेसिफिकेशन का पूर्व में ही निर्धारण किया जाना चाहिए।

3. फाईनल टाइम एक्स्टेंशन – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार 15 मकानों का कार्य भूमि विवाद के कारण 125 दिवस के विलम्ब से 20.2.2008 को प्रारम्भ किया जा सका। साथ ही गुर्जर आन्दोलन के कारण हुए विलम्ब के साथ संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ जिसके कारण ठेकेदार को भुगतान विलम्बित किए जाने के कारण भी कार्य बाधित रहा।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई तथा गुणावगुण का आंकलन कर फाईनल टाइम एक्स्टेंशन रु. 50,000/– की शास्ती लगाते हुए अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 5 — Approval of extra items/ deviation/ final time extension for construction of work of HIG (11.25 m x 21 m) 64 Nos. houses at Kotputli. Contractor - M/s. Gyarsilal Mohan Lal.

1. विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 1.75 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। विचलन अधिक नहीं है तथा कार्य आवश्यकतानुसार निष्पादित करवाया गया है।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

2. एक्स्ट्रा आईटम – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार प्लास्टर पर पी.ओ.पी. कराने का निर्णय बाद में लिया गया, मार्बल एवं ग्रेनाइट की आवश्यकतानुसार मोल्डिंग लगाई गई तथा फ्लश–डोर पर लकड़ी लिपिंग लगाई जानी आवश्यक होने के कारण एक्स्ट्रा आईटम करवाए गए।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। एक्स्ट्रा आईटम अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि भविष्य में तकमीने बनाते समय कार्य के स्फेसिफिकेशन का पूर्व में ही निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार एक्स्ट्रा आईटम करवाने की आवश्यकता न पड़े।

3. फाईनल टाइम एक्स्टेंशन – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार वर्षा ऋतु में कार्य स्थल पर पानी भर जाने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ तथा गुर्जर आन्दोलन के कारण हुए विलम्ब के साथ संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने में भी विलम्ब हुआ जिसके कारण ठेकेदार को भुगतान विलम्बित किए जाने के कारण भी कार्य बाधित रहा।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई तथा गुणावगुण का आंकलन कर फाईनल टाइम एक्स्टेंशन रु. 50,000/– की शास्ती लगाते हुए अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 6 Approval of deviation for construction of residential houses EWS-270 Nos. Zone-II Sector-7, Kuri Bhagtasani Scheme, Jodhpur. Contractor - M/s. Krishna Construction Co.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 19.74 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। इसका प्रमुख कारण तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान मकानों के साथ कम्पाउन्ड वॉल बनाने का निर्देश दिया गया जिसके कारण कार्य में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट पेन्ट, कम्पाउन्ड वॉल गेट, कुछ बिजली के कार्य इत्यादि के अतिरिक्त कार्य करवाने के कारण विचलन हुआ। कार्य का निष्पादन लगभग 5 वर्ष पूर्व सम्पन्न हो चुका है।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 7 Approval of extra items/ deviation/ final time extension for the construction of Jhule Lal Market Complex at Sector No. 14, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur. Contractor - M/s. Kumawat Contractor.

1. विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 1.70 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। विचलन अधिक नहीं है तथा कार्य आवश्यकतानुसार निष्पादित करवाया गया है। कार्यस्थल पर प्रस्तावित से अधिक दुकानों का निर्माण करवाया गया है।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

2. एक्स्ट्रा आईटम – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार दुकानों में डाली गई छत तथा कोरीडोर के लेवल में अन्तर को भरने हेतु ब्रिक्स खरन्जा लगाने की आवश्यकता पड़ी, कोटा स्टोन के स्थान पर सेरेमिक टाइल्स लगाई गई क्योंकि दुकानों का साईज छोटा होने के कारण घिसाई करने में कठिनाई होती, उच्च न्यायालय में दिए गए आश्वासन के अनुसार कॉम्प्लेक्स को हैरिटेज लुक देने की दृष्टि

से छत्रियां, जाली इत्यादि लगवाई गई जिसके कारण कार्यादेश राशि के 19.80 प्रतिशत के एक्स्ट्रा आईटम करवाए गए।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। एक्स्ट्रा आईटम अनुमोदित करते हुए सदस्यों का यह मत था कि भविष्य में तकमीने बनाते समय कार्य के स्पेसिफिकेशन का पूर्व में ही निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार एक्स्ट्रा आईटम करवाने की आवश्यकता न पड़े।

3. फाईनल टाइम एक्स्टेंशन – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार 257 दिवस का विलम्ब है जिसके प्रमुख कारण – बेसमेन्ट में अतिरिक्त दुकानों का निर्माण कार्य करवाने का निर्णय बाद में लिया गया, छत्रियॉं, जाली लगाने के कार्य का निर्णय भी बाद में लिया गया जिससे विलम्ब हुआ जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था। साथ ही कार्यस्थल पर सीवर लाईन तथा 11 तथा 33 के.वी.ए. की बिजली की लाईन शिफ्टिग भी आवश्यक थी। इन कार्यों का निष्पादन मूल विभाग – बिजली बोर्ड तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना था तथा कार्य संपादन में विलम्ब हुआ जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। कार्य में हुए विलम्ब परिस्थितिजन्य थे जिसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं थी।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की जाकर गुणावगुण का आंकलन कर फाईनल टाइम एक्स्टेंशन बिना शास्ती के अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 8 Approval of extra items/ deviation for construction work of remaining works at Ist Type 02 Nos. Judicial Quarters at Dungarpur. Contractor - M/s. Dinesh Construction Co.

1. विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 10.80 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। विचलन कार्य को न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी के निर्देशों पर निष्पादित करवाया गया है। न्यायिक अधिकारियों हेतु यह कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा छोड़ा गया था तथा मण्डल के पक्ष में स्वीकृति आने के पश्चात् किया गया। कार्य के विरुद्ध समस्त राशि राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। प्रस्तावानुसार विचलन का अनुमोदन करना प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

2. एक्स्ट्रा आईटम – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि कार्य को न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकतानुसार न्यायालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के निर्देशों पर निष्पादित करवाया गया है। न्यायिक अधिकारियों हेतु यह कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा छोड़ा गया था तथा मण्डल के पक्ष में स्वीकृति आने के पश्चात् किया गया।

कार्य के विरुद्ध समस्त राशि राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। प्रस्तावानुसार एक्स्ट्रा आईटम का अनुमोदन करना प्रस्तावित किया गया। ।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं प्रस्तावानुसार एक्स्ट्रा आईटम का अनुमोदन किया गया।

Agenda No. 9 Approval of deviation for construction of Residential Flats 72 Nos. for urban poor at Zone-III, Bhiwadi. Contractor - M/s. Pradeep Kumar Jain.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 10.38 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। इसका प्रमुख कारण हाल ही में कोड के अनुसार भिवाड़ी को भूकम्प के लिहाज से जोन–5 में सम्मिलित किये जाने के कारण स्ट्रक्चर में अतिरिक्त लोहा लगाने की आवश्यकता के कारण है। इस जोन में मकान को भूकम्परोधी बनाने की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाने आवश्यक थे।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 10 Approval of deviation for construction of Residential Flats 84 Nos. for urban poor at Zone-II, Bhiwadi. Contractor - M/s. Pradeep Kumar Jain.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 8.42 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। इसका प्रमुख कारण हाल ही में कोड के अनुसार भिवाड़ी को भूकम्प के लिहाज से जोन–5 में सम्मिलित किये जाने के कारण स्ट्रक्चर में अतिरिक्त लोहा लगाने की आवश्यकता के कारण है। इस जोन में मकान को भूकम्परोधी बनाने की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाने आवश्यक थे।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 11 Approval of deviation for construction of Residential Flats 144 Nos. for urban poor at Zone-I, Bhiwadi. Contractor - M/s. Pradeep Kumar Jain.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 10.59 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। इसका प्रमुख कारण हाल ही में कोड के अनुसार भिवाड़ी को भूकम्प के लिहाज से जोन–5 में सम्मिलित किये जाने के कारण स्ट्रक्चर में अतिरिक्त लोहा लगाने की आवश्यकता के कारण है। इस जोन में मकान को भूकम्परोधी बनाने की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाने आवश्यक थे।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

Agenda No. 12 Approval of final time extension for 287 days for construction of MIG-A=75 and MIG-B=17 houses at Nasirabad, Ajmer district. Contractor - M/s. Ankit Construction.

प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रकरण की स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों के अनुसार मुख्य अभियन्ता सक्षम है अतः प्रकरण पर निर्णय मुख्य अभियन्ता स्तर पर ही लिया जाए।

Agenda No. 13 Approval of deviation / extra items for construction of road including carpeting, construction of foot path and road divider in 60 mtr. wide road, Kho-Nagorian, Goner road covering Sector-3 & 5, Indira Gandhi Nagar, Jagatpura, Jaipur. Contractor - M/s. R.M. Constructions.

1. विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 5.07 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है। इसका प्रमुख कारण एम.एन.आई.टी., जो कि इस निर्माण की प्रमुख परामर्शदात्री संस्था थी, ने केरेज–वे–विड्थ 10.50 मीटर से बढ़ाकर 11.00 मीटर किए जाने की सिफारिश की जिससे आईटम की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। साथ ही एम.एन.आई.टी., द्वारा दिए गए मिक्स डिजाईन के अनुसार कार्य करवाने से एक्स्ट्रा आईटम करवाने पड़े तथा सड़क के नीचे निर्माण के साथ आर.सी.सी. के पाईप डाले गए ताकि पानी का निकास हो सके तथा आवश्यकतानुसार वायर तथा केबल इत्यादि रोड काटे बिना डाले जा सके। अतः उक्त कारणों के आधार पर हुए विचलन को उचित माना जाकर प्रस्तावानुसार प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

2. एक्स्ट्रा आईटम – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि एक्स्ट्रा आईटम करवाए जाने का प्रमुख कारण एम.एन.आई.टी., जो कि इस निर्माण की प्रमुख परामर्शदात्री संस्था थी, ने निर्माण कार्य के दौरान उचित मिक्स डिजाईन के अनुसार कार्य करवाने की सिफारिश की जिससे एक्स्ट्रा आईटम करवाने पड़े। साथ ही सड़क के नीचे निर्माण के साथ आर.सी.सी. के पाईप डाले गए ताकि पानी का निकास हो सके तथा आवश्यकतानुसार वायर तथा केबल इत्यादि रोड काटे बिना डाले जा सके जिनका प्रावधान निविदा प्रपत्र में नहीं था। अतः उक्त कारणों के आधार पर करवाए गए एक्स्ट्रा आईटम को उचित माना जाकर प्रस्तावानुसार प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।
   प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं प्रस्तावानुसार एक्स्ट्रा आईटम का अनुमोदन किया गया।

Agenda No. 14 Approval of deviation for construction of Residential Flats 138 Nos. for urban poor at Zone-V, Bhiwadi. Contractor - M/s. Karni Construction Co.

विचलन प्रपत्र – अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय ने समिति के समक्ष बताया कि प्रस्तावानुसार कार्यादेश राशि से 8.72 प्रतिशत अधिक का विचलन हुआ है।

इसका प्रमुख कारण हाल ही में कोड के अनुसार भिवाड़ी को भूकम्प के लिहाज से जोन–5 में सम्मिलित किये जाने के कारण स्ट्रक्चर में अतिरिक्त लोहा लगाने की आवश्यकता के कारण है। इस जोन में मकान को भूकम्परोधी बनाने की दृष्टि से उचित कदम उठाए जाने आवश्यक थे।

प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा की गई। विचलन प्रपत्र प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया।

समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये समाप्त की गयी।

सदस्य सचिव–कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक–अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
2. निजी सचिव – आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर।
3. निजी सहायक, मुख्य नगर नियोजक, राज0 सरकार, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, रा0आ0मं0, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0मं0 जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता– I/ II/ III, राज. आ. मंडल, जयपुर
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं., जयपुर /वृत्त जोधपुर प्रथम/द्वितीय।
8. तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त, राज.आ.मण्डल, जयपुर।

सदस्य सचिव–कार्य समिति एवं
तकनीकी सहायक–अध्यक्ष